झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
दशम् (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.12.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	हजारीबाग जिलान्तर्गत, चौपारण, बरही, बंदवारा प्रखण्ड की हजारों एकड़ रैयतों की जमीन वर्ष 1951-523 में तिलैया जलाशय डैम का निर्माण D.V.C द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है और तिलैया जलाशय का निर्माण कराया गया। तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा विस्थापित एवं प्रभावित किसानों को D.V.C के माध्यम से जमीन का पर्चा दिया गया लेकिन आज तक झारखण्ड सरकार के सरकारी रसीद नहीं निर्गत किया गया है। इसमें अतिमहत्त्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि चौपारण प्रखण्ड में बसे ग्राम हडाही एवं बहियर के किसान पूर्ण विस्थापित हो गये। इन दोनों गाँव को ग्राम गौरीया करमा प्रखण्ड बरही में सरकार के द्वारा जमीन देने की घोषणा किया लेकिन गौरीया करमा के किसानों ने बसाने नहीं दिया। लचार होकर दोनों गाँव के किसान सड़क पर आ गये। वर्ष- 1953 में तत्कालीन भारत सरकार के राष्ट्रपति महामहिम श्री राजेन्द्र प्रसाद का आगमन-	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड के ग्राम पंचमाधव में हुआ था तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री भारत सरकार के माननीय श्री जवाहर लाल नेहरु जी को कोनार डैम का उद्घाटन करने हेतु आना था जिसके कारण महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मौखिक आदेश दिया गया कि विस्थापित हडाही तथा बहियर के किसानों को ग्राम सिरयारी आज का नाम श्रीनगर के बदल दिया गया। जिस जमीनें पर बसाया गया है वह जमीन जंगल झारी लिखा हुआ है। जिसके कारण आज तक मालिकाना हक नहीं दिया गया। अतः उक्त सम्पूर्ण मामलों की जाँच कर किसानों को मालिकाना हक तथा जमीन का रसीद निर्गत करने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
02-	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0	राज्य गठन के समय से सीनियर डी0एस0पी0 के 36 पद और ए0एस0पी0 के 41 पद ही सृजित है, जबकि जे0पी0एस0सी0 द्वारा सीधे नियुक्त 194 पुलिस पदाधिकारी (डी0एस0पी0) प्रोन्नत होकर डी0एस0पी0 बने हैं। वर्त्तमान में 150 पदाधिकारी राज्य में कार्यरत है और इनमें से कई पदाधिकारियो का प्रमोशन सीनियर पदों की कमी के कारण बाधित है। दूसरी तरफ राज्य के पुलिस पदाधिकारी के विभिन्न स्तर पर वर्दी भत्ता में काफी विसंगतियाँ है, जैसे सिपाही को 4,000 रूपए इंस्पेक्टर को 4,500 रूपाया एवं एस0पी0 से डी0जी0पी0 तक 10,000 रूपाया वर्दी भत्ता दिया जा रहा है जबकि डी0एस0पी0 को मात्र 1,000 रूपया ही वर्दी भत्ता दिया जा रहा है। अतः सीनियर डी0एस0पी0 और ए0एस0पी0 के अतिरिक्त पद सृजित कर प्रोन्नति देने एवं वर्दी भत्ता की विसंगतियों को दूर करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानआकृष्ट कराना चाहती हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
03-	श्री भूषण तिर्की स0वि0स0	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष- 2018 में नगर विकास एवं आवास विभाग में सहायक अभियन्ता (असैनिक) एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) हेतु विज्ञापन संख्या- 08/2018 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के विरूद्ध वर्ष- 2021 के अप्रैल में परीक्षा का आयोजन किया गया जिसका परीक्षाफल अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त है। अतः मैं सदन के माध्यम से उपर्युक्त विज्ञापन का परीक्षाफल राज्यहित में कब तक प्रकाशित किया जायेगा, इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
04-	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0 श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0	"राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी प्रकार राज्य के प्राथमिक एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सृजित नहीं है और न ही अभी तक प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति से संबंधित नियमावली बनी है, जिस कारण राज्य के प्राथमिक एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता दिखता है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के सेवा शर्त्तो के स्वरूप ग्रेड-II से ग्रेड-VII में प्रोन्नति लगभग 30 वर्षों से लम्बित है जिसके फलस्वरूप राज्य के 90% प्राथमिक व मध्य विद्यालय प्रधानाध्यापक विहिन हो चुकें हैं। साथ ही राज्य कर्मियों के सादृश्य प्राथमिक शिक्षकों को भी एम0ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाना चाहिए, जो कि वर्त्तमान में नहीं दी जा रही है।" अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि राज्य के प्राथमिक व उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पद सृजित करने, प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति से संबंधित	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
		नियमावली बनाने तथा राज्य कर्मियों के सादृश्य उन शिक्षकों को एम0एस0सी0पी0 का लाभ दिलायी जाय, जिस ओर मैं सदन का ध्यानाकृष्ट कराता हूँ।	
05-	**श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री कोचे मुण्डा स0वि0स0 श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता स0वि0स0**	राज्य में एक ओर सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है जिसके कारण राज्य में 90 हजार शिक्षकों का पद वर्षो से रिक्त है तथा राज्य के लगभग 07 (हजार) **सरकारी स्कूलों** का संचालन 01(एक) शिक्षक के सहारे चल रही है और ऐसे में सरकार द्वारा यह कहा जाना कि **राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहत्तर बनाया जायेगा,** कैसे? इतना ही नहीं **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (नैस)** की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021 के रिजल्ट राज्य के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने कम अंक प्राप्त किये है जो चिंता की बात है। साथ-ही राज्य गठन से लेकर अबतक जहाँ सरकार को राज्य में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) का आयोजन वर्ष 2013 से अबतक कम-से-कम 09 (नौ) बार कराना चाहिए था वहाँ सरकार की लापरवाही में अबतक सिर्फ 02 (दो) बार (वर्ष- 2013 एवं 2016) ही उक्त परीक्षा आयोजित हुई है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष उक्त परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। साथ ही NCTE के नियमानुसार राज्य में सरकार ससमय टेट परीक्षा का आयोजन नहीं कर पाई है तो वैसी स्थिति में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य के शिक्षक नियुक्ति में मान्यता दे सकती है ताकि राज्य में वर्षो से शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, लेकिन सरकार उक्त मामले के प्रति गम्भीर नहीं है। इतना ही नहीं राज्य में अभी भी सैकड़ों जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति की प्रत्यासा में अपनी उम्र सीमा गँवाने की स्थिति में हैं या गँवा चुकी है। ऐसे में सरकार को शिक्षक नियुक्ति नियमावली को सरल करते हुए उक्त नियुक्ति में जेटेट के	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**

01.	02.	03.	04.
		साथ-साथ सीटेट अभ्यर्थियों के उम्र सीमा के मापदण्ड को शिथिल करते हुए उक्त परीक्षाओं में शामिल करने पर विचार करना चाहिए ताकि राज्य में वर्षों से शिक्षकों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जा सकें। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान राज्य में शिक्षा की दयनीय स्थिति पर आकृष्ट कराना चाहूँगा।	

राँची,
दिनांक- 23 दिसम्बर, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-50/2022-2476/वि० स०, राँची, दिनांक-22/12/22,

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा एवं सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22

((एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-50/2022-2476/वि० स०, राँची, दिनांक- 22/12/22,

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22/12/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

22/12/2022